185

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, (ग्वालियर) ﴾ म0प्र0﴿

R 207-I/17

दीपक अराटी वल्द मोहनलाल अराटी

निवासी ग्राम रामपुर, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. - आवेदक/निगरानीकर्ता

।। विरूद्ध ।।

म0प्र0 शासन - उत्तरवादी

निगरानी प्र0 क्रं0:

निगरानी/आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 :-

आवेदक/निगरानीकर्ता यह निगरानी मान0अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के द्वारा प्र0 क्रं0 40/अपील/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20/10/2014 से दुखित होकर आदेश के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

श्री ... द्वारा आज दि. 16-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

-: निगरानी का विवरण :-

1﴿ यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक के द्वारा उसकी नाबालिगी के दौरान उसके नाम से मौजा रामपुर प. ह. नं. 23 रा0नि0मं. ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. स्थित भूमि खसरा नंबर 356/1 रकवा3-954 आरे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/06/1998 के आधार पर हल्कैया तनय श्री खुरखुरिया धोबी निवासी ग्राम रामपुर तहसील व जिला छतरपुर, म.प्र. से क्रय की थी । भूमि क्रय करते समय तत्कालीन समय में आवेदक/निगरानीकर्ता नाबालिग था तथा उसके संरक्षक के पास पैसा की कमी थी जिस कारण उक्त बैनामा को जप्त करा दिया गया था जैसे ही निगरानीकर्ता/आवेदक वयस्क हुआ व उसके पास पैसा हुआ तो उसके द्वारा बैनामा की राशि की पूर्ति कर वर्ष 2011 में बैनामा उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त किया एवं श्रीमान तहसीलदार महोदय छतरपुर के यहां प्रस्तुत किया । श्रीमान नायब तहसीलदार ईशानगर ने अपने प्र0 क्रं0-06/अ-6/12-13 आदेश दि. 13/11/2013 को अपना आलोच्य आदेश पारित किया ।

2﴿ यह कि, श्रीमान नायब तहसीलदार ईशानगर के प्रकरण क्रं.-06/अ-6/12-13 आदेश दिनांक 13/11/2013 के विरूद्ध आवेदक/निगरानीकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी । माननीय अधीनस्थ न्या. अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर ने अपने प्रकरण क्रं0-40/अपील/अ-6/2013-14 आदेश दि. 20/10/2014 को अपना आलोच्य ..2.

दीपक

वास्ते - अधिवक्ता

XXVIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-207/E/17 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-17	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित, अनावेदक शासन पक्ष से उनके अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों के तर्क सुने। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 40/अपील/अ–6/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 20/10/14 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि स्थित मौजा ग्राम रामपुर खसरा क्र 356/1 रकवा 3.959 हे. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/06/1998 के माध्यम से हल्कैयां तनय खुरखुरिया धोबी से क्रय की थी परंतु विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय में जमा होने के कारण उसके द्वारा तदसमय नामांतरण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा बाद में उपपंजीयक कार्यालय से विक्रय पत्र वापिस प्राप्त करने पर उसके द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार ईशानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रेता हल्कैयां तनय खुरखुरिया धोबी के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसको उनके द्वारा निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर आवेदक को विक्रीत की गयी है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की है जिस कारण से विक्रेता को कोई अपत्ति ना होने के आधार पर तहसीलदार को नामांतरण का आदेश	

R.202-8/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक के पक्ष में पारित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि वैधानिक तरीके से विक्रेता को भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई है जिससे खातेदार को उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त आधार पर आवेदक द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम. पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 5— उभयपक्ष के मौखिक तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि हल्कैयां तनय खुरखुरिया धोबी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/06/1998 के माध्यम से आवेदक को विक्रय किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि मिलान खसरा खतौनी से नहीं होता है जिस कारण से नामांतरण नहीं किया जा सकता है जबकि संहिता की धारा 110 के प्रावधानानुसार नामांतरण केवल राजस्व अभिलेख को दरूस्त रखने की एक प्रक्रिया है नामातंरण हो जाने मात्र से स्वामित्व सिद्व नहीं होता है जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नारायणप्रसाद वि तुलसीदास 2002 रा.नि. 306 में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार शान्तिबाई वि जसरथ धोबी 2005 रा.नि. 45 में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को संदिग्ध मानकर क्रेता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है — उसे बिक्रीनामा को शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। जहां तक प्रश्न अन्य किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में किए गए नामांतरण अथवा विक्रय पत्र पर अपत्ति का है तब उस व्यक्ति को उचित विधान के अंतर्गत नियमानुसार सक्षम	

R 207-E/17

क्रम तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय अथवा व्यवहार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने की पूर्ण स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर का आदेश दिनांक 20/10/14 एंव नायब तहसीलदार ईशानगर का आदेश दिनांक 13/11/13 निरस्त किया जाता है परिणामतः तहसीलदार को आदेशित किया जाता है अभिलेख दुरूस्त कर राजस्व/कम्पूटर अभिलेख में विक्रय पत्र दिनांक 15/06/1998 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करें। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	